न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/23	2023/354	08–02–2023	09–01–2025

1. धर्मवीर पुत्र गोपाल जाति यादव निवासी यादव नगर अलवर राज0।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़
निर्णय दिनांक 16.12.2022

उपस्थितः–
01–श्री मोहन सिंह नरूका –वकील अपी0
02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ के आदेश दिनांक 16.12.2022 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 1900 रकबा 0.25 है0 में से 0.04 है0 वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के खिलाफ जेर दफा 91 राजस्थान राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया मिन अपीलान्ट ने उक्त नोटिस का मुफसिल जवाब तहत अदालत में पेश किया व तहत अदालत ने कहा कि अब जवाब पेश हो गया है अब आने की जरूरत नही हैं व नोटिस की कार्यवाही ड्रोप कर दी है। लेकिन तारीख 03–02–2023 को तहत अदालत के आधीन मुलाजिमान विवादित आराजी पर आये व मिन अपीलान्ट को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन तहत अदालत के आदेश की एंव दस्तावेजात की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 03–02–2023 को मिली। नकल मिलने पर मिन अपीलान्ट ने वकील साहबान से सलाह मशवरा लिया वकील साहब ने अपील पेश करने के बाबत कहा। जिस पर मिन अपीलान्ट ने गांव में जाकर रूपये आदि का इन्तजाम किया। जिससे यह अपील आज अदालत श्रीमान के समक्ष बिला देरी के पेश है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 कानून मियाद का अलग से पेश हैं। मिन अपीलान्ट ने अपील मुकर्रर मियाद के अन्दर दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है। जो देरी माफ फरमायी जावे। तारीख निर्णय से अपील अन्दर मियाद पेश है। आराजी खसरा नंबर साबिक 1333 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल नंबर 1900 रकबा 0.25, 1901 रकबा 0.20, 1902 रकबा 0.20 व 1903 रकबा 0.65 बना है। उक्त साबिक नंबर 1333 ग्राम खिलौरा तहसील रामगढ में हैं। उक्त आराजी पल्टू व घुटमल पुत्रान नन्दा जाति चमार निवासी दोहली तहसील रामगढ ने गजानन्द, चुन्नीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान मोजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम दोहली तहसील रामगढ व रघुवीर पुत्र सोहनलाल, मंगतू पुत्र किशनसहाय, पूरण पुत्र दिलसुख जाति अहीर निवासी खिलौरा तहसील रामगढ को जरिये दस्तावेज इकरारनामा के तारीख 29–04–1981 को फरोख्त कर दिया हैं व उक्त खरीददारान पल्टू व घुटमल पुत्रान नन्दा जाति चमार निवासी दोहली तहसील रामगढ ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गजानन्द, चुन्नीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान मोजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम दोहली तहसील रामगढ़ व रघुवीर पुत्र सोहनलाल, मंगतू पुत्र किशनसहाय, पूरण पुत्र दिलसुख जाति अहीर निवासी खिलौरा तहसील रामगढ उक्त आराजी को आपस में बांट ली हैं व खरीददार रघुवीर के हिस्से में आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर जो रघुवीर खरीददार के हिस्से में आया हैं व उक्त रघुवीर से मिन अपीलान्ट ने उक्त खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर मौखिक सन 1983 में खरीद कर लिया है व उक्त रकबे में से 0.04 हैक्टेयर पर मिन अपीलान्ट ने काफी जिस्मानी मेहनत करके व लाखो रूपये खर्च करके अपना व अपने परिवार के रिहायश के लिए व पशुधन के लिए मकानात बना लिए हैं जिसमें मिन अपीलान्ट मय परिवार के रिहायश रखता हैं व पशुधन बांधता है उक्त जायदाद के अलावा मिन अपीलान्ट के पास रिहायश के लिए व पशुधन बांधने के लिए ओर कोई जगह नही है व बकाया खरीदशुदा आराजी करीब 0.21 हैक्टेयर पर मिन अपीलान्ट पैदावार काश्त करता है। मिन अपीलान्ट के पास विवादित आराजी पर बने हुए मकानात के अलावा अन्य कोई मकानात नही है। यदि मिन अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर दिया तो मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिवार बेघरवार होकर सडक पर आ जायेगें। तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करने में भारी भूल की है। जबकि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तहसील में बैठकर विवादित आराजी के बाबत तैयार की है। मिन अपीलान्ट को पटवारी हल्का ने ना तो बुलाया ना ही दस्तावेजात पेश करने का व गवाहान आदि के बयान आदि नही लिए व गलत तरीत पर रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की है। मिन अपीलान्ट को तहत अदालत ने पटवारी हल्का से जिरह करने का कतई मौका नही दिया ना ही मिन अपीलान्ट के बयान व मिन अपीलान्ट के गवाहान के बयान लिए नाही मिन अपीलान्ट को दस्तावेज आदि पेश करने का कोई मौका दिया। विवादित आराजी मन्दिर माफी की नही है ना ही मिन अपीलान्ट ने विवादित आराजी मन्दिर माफी पर नाजायज कब्जा किया है बल्कि मिन अपीलान्ट ने विवादित आराजी व अन्य आराजी जरिये दस्तावेज इकरारनामा उक्त पल्टू व घुटमल से खरीद की है मिन अपीलान्ट आराजी मुतनाजा का परचेजर हैं बल्कि मिन अपीलान्ट ने विवादित आराजी उक्त रघुवीर से मौखिक सन 1983 में खरीद की है। तब से मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर बहैसियत खरीददार के काबिज दाखिल है। उक्त आराजी मुतनाजा कभी भी मन्दिर माफी की आराजी नही रही है ना मौके पर है। मिन अपीलाण्ट गरीब बाल बच्चेदार आदमी है काश्तकार पेशा हैं व शांतिप्रिय हैं। तहत अदालत ने मिन अपीलाण्ट के नाम नोटिस धारा 91 राज० भू० राजस्व अधिनियम जारी किया व मिन अपीलाण्ट ने तहत अदालत में अपना जवाब पेश किया व तहत अदालत ने उसी दिन यानि जवाब पेश करने के बाद मुकदमे का निस्तारण गलत तथ्यों के आधार पर कर दिया। तहत अदालत ने मिन अपीलाण्ट को साक्ष्य सफाई पेश करने का कतई मौका नहीं दिया व गलत तरीके पर उक्त आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। मिन अपीलाण्ट ने आराजी मुतनाजा पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलाण्ट के बुजुर्गान का कब्जा अरसे दराज 50–60 साल से चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत तरीके पर की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 16–12–2022 मंसुख फरमाया जावे व जुर्माने (पैनल्टी) का हुक्म मंसुख फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 16.12.2022 के विरूद्ध दिनांक 03.02.2023 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 01 माह 18 दिन विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का खिलौरा मय ताईद भू0अभि0नि0 वृत रामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1333 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 है0, 1901 रकबा 0.20 है0, 1902 रकबा 0.20 है0 व 1903 रकबा 0.65 है0 किस्म चाही–2 वाके ग्राम खिलौरा तह0 रामगढ में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खिलौरा अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गैर चाही–2 में से 0.04 है0 पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा किया गया उक्त आराजी में से 0.04 है0 पर किया गया निर्माण आदि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 16.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे **द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)